

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) () अलेसे-1/ 151

दिनांक:- 04/06/2019

शुद्धि-पत्र

1. विभागीय आदेश संख्या 351/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 1 पर वर्णित श्री प्रेमचन्द कनोजिया, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 4836) के कॉलम संख्या 5 पर अंकित "कार्यालय राजकीय यूजी महाविद्यालय, (छात्र) नसीराबाद, अजमेर" के स्थान पर "कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर" पढ़ा जावे।
2. विभागीय आदेश संख्या 351/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 54 पर वर्णित श्री राजेश कुमार गुप्ता, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 1299) का किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।
3. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 123 पर वर्णित श्री हरबंस सिंह, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 2577) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "कार्यालय राजस्थान अक्षय उर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर" के स्थान पर "निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर" पढ़ा जावे।
4. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 146 पर वर्णित श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 4691) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "कार्यालय वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर" के स्थान पर "प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर" पढ़ा जावे।
5. विभागीय आदेश संख्या 130/2018-19 दिनांक 03.03.2019 के क्र.सं. 129 पर वर्णित श्री शंकर दास सिंधी, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 5549) के कॉलम संख्या 5 पर अंकित "कार्यालय राजस्व मण्डल, अजमेर" के स्थान पर "अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर" पढ़ा जावे।
6. विभागीय आदेश क्रमांक 2694 दिनांक 07.03.2019 के क्र.सं. 3 पर अंकित श्री भवानी शंकर, स.ले.अ. ग्रेड-1 (5123) के क्रम में जारी संशोधन आदेश में वर्णित "वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त बी हनुमानगढ़" के स्थान पर "अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त हनुमानगढ़" पढ़ा जावे।
7. विभागीय आदेश संख्या 119/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 25 पर वर्णित श्री रविन्द्र कुमार जिन्दल, स.ले.अ. ग्रेड-11 (लिंक नं. 2144) के कॉलम संख्या 5 पर अंकित "कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, एल0एम0सी0सी0ए0डी0 एण्ड ए0डी0पी0 विभाग, केशोरायपाटन, बून्दी" के स्थान पर "कार्यालय अधि. अभियन्ता, बाई मुख्य नहर खण्ड सीएडी, बून्दी " पढ़ा जावे एवं कॉलम संख्या 6 पर अंकित "कार्यालय उपकोषाधिकारी, केशोरायपाटन, बून्दी" के स्थान पर "उपनिदेशक, कृषि विस्तार (जिला परिषद्), बून्दी" पढ़ा जावे।

8. विभागीय आदेश संख्या 119/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 42 पर वर्णित श्री गोपाल सिंह, स.ले.अ. ग्रेड-॥ (लिंग नं. 2952) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "कार्यालय कुलसचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर" के स्थान पर "आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर" पढ़ा जावे।
9. विभागीय आदेश संख्या 120/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 83 पर वर्णित श्री नरसी राम, स.ले.अ. ग्रेड-॥ (लिंग नं. 9696) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "कार्यालय उपकोषाधिकारी, जायल, नागौर" के स्थान पर "ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, डेगाना, नागौर" पढ़ा जावे।
10. विभागीय आदेश संख्या 127/2018-19 दिनांक 28.02.2019 के क्र.सं. 1 पर वर्णित श्री दिनमणी सिंह, स.ले.अ. ग्रेड-॥ (लिंग नं. 9231) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "कार्यालय कुलसचिव, जगतगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर" के स्थान पर "महानिरीक्षक, कारागार विभाग, जयपुर" पढ़ा जावे।
11. विभागीय आदेश संख्या 2616/2018-19 दिनांक 28.02.2019 के क्र.सं. 11 पर वर्णित श्री जगदीश चेलानी, स.ले.अ. ग्रेड-॥ (लिंग नं. 9699) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "कार्यालय अधीक्षक, जवाहर ताल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, अजमेर" के स्थान पर "उपमहानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक, अजमेर" पढ़ा जावे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) () अलेसे-1/ 51

दिनांक:- 04/06/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष
3. कोषाधिकारी
4. श्री, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-॥, कार्यालय
..... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फैंक्स अथवा विभागीय ई-मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवावें।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-॥/॥/॥) कार्यालय हाजा।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-॥)